संख्या- 12/2021/223/छप्पन-2021-11/2013

प्रेषक,

सुरेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 04 फरवरी, 2021

विषय: अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में अतिरिक्त भूमि का क्रय किए जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-501/आर0सी0एस0आर0सी0एस0-2021-एफ-1/2018 दिनांक 29 जनवरी, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने एवं अनुषांगिक कार्यों हेतु कुल 08 ग्राम जनौरा (बा0न0पा0), गंजा, धर्मपुर सहादत, फिरोजपुर, कुशमाहा, सरेठी, पूरा हुसैन खां एवं नन्दापुर की 233.494 एकड़ अतिरिक्त भूमि के क्रय के लिए अनुमानित लागत लगभग रू0 4,21,99,50,720/- (रूपए चार अरब इक्कीस करोड़ निन्यानवे लाख पचास हजार सात सौ बीस मात्र) पर प्रशासकीय स्वीकृति एवं रू0 10000.00 लाख (रुपया एक अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति, जिलाधिकारी, अयोध्या के निवर्तन हेतु जारी करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने एवं अनुषांगिक कार्यों हेतु कुल 08 ग्राम जनौरा (बा0न0पा0), गंजा, धर्मपुर सहादत, फिरोजपुर, कुशमाहा, सरेठी, पूरा हुसैन खां एवं नन्दापुर की 233.494 एकड़ अतिरिक्त भूमि के क्रय के लिए अनुमानित लागत लगभग रू0 4,21,99,50,720/- (रूपए चार अरब इक्कीस करोड़ निन्यानवे लाख पचास हजार सात सौ बीस मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रू0 10000.00 लाख (रुपया एक अरब मात्र) के व्यय की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(4) स्वीकृति धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं दिनांक 18 मई, 2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(5) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(8) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vi) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 10000.00 लाख (रुपया एक अरब मात्र) को तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, अयोध्या के निर्वतन पर रखी जायेगी और जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

4- निदेशक, नागरिक उड्डयन से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भूमि के क्रय/अर्जन हेतु अपेक्षित अग्रेतर कार्यवाही जिलाधिकारी, अयोध्या से शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न कराने का कष्ट करें ताकि विषयांकित कार्य समयबद्ध रूप से सम्पन्न कराया जा सके।

5- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन पूंजीगत लेखा- ''लेखाशीर्ष 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-22-अयोध्या में एयरपोर्ट-60-भूमि क्रय'' से वहन किया जाएगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7-192/दस-2021, दिनांक 04 फरवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-12/2021/223(1)/छप्पन-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

3- मण्डलायुक्त, अयोध्या।

4- जिलाधिकारी, अयोध्या।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ मुख्य कोषाधिकारी, अयोध्या।

6- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13

8- निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।

9- समीक्षा अधिकारी (बजट)।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।